

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक- 04 मार्च, 2021

विषय:- बी०सी०-सखी के रूप में शार्टलिस्टेड /चयनित अभ्यर्थियों को स्वयं सहायता समूह का अनिवार्य रूप से सदस्य बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि बी०सी०-सखी के रूप में शार्टलिस्टेड /चयनित अभ्यर्थियों में कतिपय बी०सी०-सखी ऐसी भी है, जो कि किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हैं। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में एक-एक बी०सी०-सखी के चयनित किये जाने के निर्णय के अनुक्रम में इनके प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक/नोडल एजेन्सी आरसेटी है जो कि एन०ए०आर० (नेशनल एकेडमी आफ रूडसेटी) के दिशा-निर्देश में प्रशिक्षण एवं सर्टीफिकेशन का कार्य करती है। एन०ए०आर० द्वारा प्रशिक्षण एवं सर्टीफिकेशन का व्यय केवल उन्हीं शार्टलिस्टेड /चयनित बी०सी०-सखी के लिये किया जायेगा जो कि स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी०सी०-सखी के रूप में चयनित ऐसी अभ्यर्थियों, जो वर्तमान में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हैं, को अनिवार्य रूप से स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाये। यह कार्यवाही प्रदेश के जनपदों में तैनात उपायुक्त (स्वतः रोजगार) के माध्यम से तत्काल कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

सं०-154 (1)/38-6-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या-जे-12036/02/2016- आरएल (348452) दिनांक 01.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ०प्र०/मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त उपायुक्त (स्वतः रोजगार), उ०प्र०।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
Manoj Kumar Singh
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव